



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 18214 सन् 2026

अनीश कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रखर सरन श्रीवास्तव, शशि भूषण कुँवर

विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशि भूषण कुँवर तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) श्री विनय प्रकाश साहू को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक को मामला अपराध संख्या 0172 सन् 2026, सीएनएस की धारा 191(2), 115(2), 121(1), 127(2), 324(4), 61(2), 191(3), 190, 326(ग), 125, 132, 195(2) एवं 285 तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/4 एवं आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना फेज-1, जनपद गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. अभियोजन के अनुसार, दिनांक 13.04.2026 को मदरसन कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, भत्ते तथा अवकाश की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस बल तैनात किया गया था। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग अवरुद्ध कर एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित कर दिया। आगे आरोप है कि नामजद अभियुक्तों ने लगभग 100 से 150 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उपद्रव किया और पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान एक पत्थर उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह को लगा, जिससे उन्हें चोटें आईं। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया। यह भी आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध किया तथा सरकारी एवं कंपनी की संपत्ति को क्षति पहुँचाई।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फँसाया गया है। उसका नाम एफआईआर में नहीं है। उसे उसके घर के पास एक दुकान पर जूस पीते समय गिरफ्तार किया गया। कथित हिंसा में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अभियोजन ने वीडियो फुटेज के आधार पर उसे अभियुक्त बनाया है, किंतु ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें वह तोड़फोड़ या हिंसा करता हुआ दिखाई देता हो। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 29.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में पूरा सहयोग करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
6. दोनों पक्षों की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि तथा उसके विरुद्ध किसी आपराधिक इतिहास के अभाव पर विचार करने के पश्चात, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है।
7. परिणामस्वरूप जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदक- अनीश कुमार को, जो उपरोक्त आपराधिक मामले में शामिल है संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा—

(i) आवेदक यह लिखित आश्वासन देगा कि जिस दिन साक्ष्य हेतु गवाह उपस्थित हों, उस दिन वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा। बिना पर्याप्त कारण अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा वह निर्धारित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तिथि पर उपस्थित नहीं होता, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरणों पर स्वयं विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा— (1) वाद के प्रारंभ होने के समय, (2) आरोप तय किए जाने के समय, तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसका बयान दर्ज किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायालय के स्वतंत्र निर्णय को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी। विचारण न्यायालय साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय करेगा।

10 जून, 2026

पी. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"